कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- प्रशिक्षण/[illegible]/2019/[illegible] : लखनऊ दिनांक: [illegible] 2019

-कार्यालय ज्ञाप-

[illegible]

[illegible]

"[illegible] के पूर्व के सम्बद्ध [illegible] द्वारा आईटी पाठ्यक्रम संचालन करने वाली संस्था [illegible] प्रवेश शुल्क में पाठ्यक्रमशोल्क द्वारा सत्र 2018-19 से निर्धारित किया गया है, एवं [illegible] द्वारा ऐसी संस्थाओं को सत्र 2018-19 से ही प्रवेश संख्या वृद्धि में अनुमोदन प्राप्त है, के संबंध में समिति द्वारा विचार किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु पाठ्यक्रमशोल्क द्वारा प्रवेश संख्या के अनुसार ही परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

[illegible]

क्र० सं०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]
[illegible]

पृष्ठांकन— [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि [illegible]

[illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्रारंशि/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] प्रेषण दिनांक: [illegible] 2020

—कार्यालय ज्ञाप—

प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यह विद्यालय/संस्थायें अनुसंधान और प्रशिक्षण, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय मानक मान्यता नियम [illegible] के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को आयोजित प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बैठक में परिषद अधिनियम के [illegible] हुए। बैठक में उपस्थित होकर सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक एवं जनपदों की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि परिषद अथवा भरी गई विषय समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible] के निर्णयों का प्रतिवेदन [illegible] [illegible] हुई तो सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाशन किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय का विवरण निम्न प्रकार है :—

" निजी क्षेत्र में स्थापित विद्यालय द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, उन्हें सत्र 2020-21 हेतु परिषदिकाएं द्वारा जारी स्थायी अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में परिषदिकाएं द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद की सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से परिषदिकाएं द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जिन संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि अथवा सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	परिषदिकाएं द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषदिकाएं/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible] के शर्तों शर्तों का पूर्णतः पालन करना।
- [illegible] प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद नियमावली [illegible] परिषदिकाएं [illegible] निर्धारित शुल्क [illegible] परिषद [illegible] के लिए [illegible] रु. [illegible]/- [illegible] के लिए [illegible] रु. [illegible]/- [illegible] एवं [illegible] के अतिरिक्त रु. [illegible] शुल्क [illegible] [illegible] के शुल्क [illegible] [illegible]

[illegible] द्वारा निर्गत [illegible] और अनुसार [illegible] जिला स्तर [illegible] समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु [illegible] के पुनर्गठन किया गया है, जो [illegible] के माध्यम से [illegible] होगी।

- [illegible] जिला कलेक्टर, [illegible] जो [illegible] अध्यक्ष होंगे।
- [illegible] समिति द्वारा [illegible] की ही [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] के [illegible] की तिथि से [illegible] के निर्धारण से [illegible] की कार्यवाही की जायेगी।
- [illegible] के अनुसार निर्धारण के अनुसार [illegible] अवश्य [illegible] होगा।
- [illegible] के [illegible] के लिये [illegible] हेतु [illegible] किया जाना [illegible] होगा।
- [illegible] द्वारा [illegible] जिला/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] एवं [illegible] जिला, [illegible], [illegible] एवं [illegible] जिला [illegible] होगा। [illegible] द्वारा [illegible] की [illegible] अवश्य [illegible] किया जाना होगी।
- [illegible] द्वारा [illegible] के [illegible] की [illegible] के [illegible] के [illegible] के

अर्धशासकीय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 **दिनांक: दिनांक 04.08.2021**

(सम्बद्धता आदेश)

अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी प्रशिक्षण और शिक्षण, नई दिल्ली द्वारा पी.सी.आई. का 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालन की अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08.08.2021 को परिषद मुख्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नवर्णित शर्तों पर पाठ्यक्रम एवं उसमें वर्णित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 2736-RAKSHPAL BAHADUR COLLEGE OF PHARMACY, BADAYUN ROAD, BAREILLY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमावली 1966, डिप्लोमा डिग्रियां नियमावली 2010 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रूपा 30,000.00, डिग्री, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रूपा- 45,000.00, पी.जी.डी.एम. एवं एक वर्ष का दो वर्षीय पाठ्यक्रम एवं दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रूपा 25,000.00, प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रस्ताव में घोषित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं प्रदेश द्वारा निर्गत किये गये अन्य आदेश प्रभावी होंगे, और उपयुक्त कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2025-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो उसी की परिपालना की जायेगी।
- ✓ संस्था को (1966) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उन समितियों, कर्मचारी को सम्बद्ध किया जाना) नियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित सीटों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एन.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. से मान्यता एवं हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

✓ संबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अधिनियम/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर निर्गत, विज्ञप्ति, अधिसूचना, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की संबद्धता यदि वापस ली जाती है, तथा यदि किसी के न्यायालय द्वारा स्टे आदेश दिया जाता है तो इस संबंध में उत्पन्न उत्तरदायित्व संबद्ध का होगा और शिक्षक/छात्र के स्थिति की कार्यवाही के लिए संबद्ध स्वयं उत्तरदायी होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्ध प्रतिकूल स्थिति संबंधित संस्था स्वयं करनी होगी।

✓ विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय संबंधित चलने वाले पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित की के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पोर्टल/आई.डी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अवश्य संबंध शुल्क सीधे संबंध) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सभी नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संबद्ध को अपने रिकार्ड पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संबद्ध की शैक्षणिक पूरी भूमि, भवन, कक्ष-कक्ष, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, पुस्तक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संबद्ध की विकास/विस्तार हेतु उपर्युक्त उपलब्ध उपलब्ध करने के साथ वित्तीय स्थिति के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संबद्ध यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निर्धारित मानकों के समस्त उपलब्ध उपलब्ध नई अचल, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि कभी किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिणाम की इसकी उपलब्धता होती है कि संबद्ध उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो पाठ्यक्रम संबंध की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

✓ संबद्ध के समक्ष निरीक्षण दौरान यदि संबद्ध में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य कक्ष-कक्ष इत्यादि/शैक्षणिक/प्रशासनिक/वित्तीय के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संबद्ध की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/2318-4838 दिनांक: (04/06/2021)

प्रतिलिपि -

प्रबन्धक, रक्षपाल बहादुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, RAKSHPAL BAHADUR COLLEGE OF PHARMACY, BADAYUN ROAD, BARELLY

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव